संख्या-101/2015/705/एक-5-2015-171/2011

प्रेषक,

शम्भू दयाल त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सम्पादक,
जिला गजेटियर विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2015**

विषय- वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों को जिला गजेटियर विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54 (एम)/2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में जिला गजेटियर विभाग के लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न पदों को इस शासनादेश से संलग्न तालिका के अनुसार निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) इस शासनादेश से संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ-3 में उल्लिखित भर्ती की प्रक्रिया के स्थान पर दिनांक 18 मार्च, 2011 से क्रमशः स्तम्भ-4 के अनुसार पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ-5 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

(2) उक्तानुसार तालिका के स्तम्भ-4 एवं 5 में दिनांक 18 मार्च, 2011 से निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से क्रमशः स्तम्भ-6 के अनुसार पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ-7 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरुप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008टी0सी0,दिनांक 29 जून, 2010 में किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-42/दस-2015, दिनांक 1-6-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
शम्भू दयाल त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-101/2015/705(1)/एक-5-2015-171/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट-। एवं ।।, उ0प्र0इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 सचिवालय।
(4) निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-101/2015/705/एक-5-2015-171/2011, दिनांक 23 जून, 2015 का संलग्नक।

क्रम सं0	वर्तमान व्यवस्था		दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी पुनर्गठन के अनुसार निर्धारित व्यवस्था		दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी पुनर्गठन के अनुसार निर्धारित व्यवस्था	
	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/ पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/ पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	कनिष्ठ लिपिक/टंकक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 1900/-)/06	विभागीय सेवा नियामवली के अनुसार।	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2000/-)/06	(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती। अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''सी0सी0सी0'' प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (2) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2000/-)/04	स्तम्भ-5 के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।		
2-	वरिष्ठ लिपिक(वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2400/-)/00	-	**--**	--	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/-) के 02 पदों को स्थगित करते हुए वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-)/के 02	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से वरिष्ठता के आधार पर।
3&	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/03	&तदैव-	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/03	&	प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-)/03	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-वरिष्ठ सहायक के पदों से वरिष्ठता के आधार पर।
4&	कार्यालय अधीक्षक (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) /01	&तदैव-	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) /01	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4600/-)/01	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से वरिष्ठता के आधार पर।
	कुल पद-10		**कुल पद-10**		**कुल पद-10**	

शम्भू दयाल त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in